

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12

जयपुर, दिनांक 24-12-2020

:: आदेश ::

नवसृजित 01 विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) तथा Commission for Protection of Child Rights Acts, 2005) प्रकरण सं02, श्रीगंगानगर एवं 07 अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालयों (अटरू जिला बारां/सिकराय जिला दौसा/ सं011, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर/ सांचोर जिला जालौर/ बिलाडा जिला जोधपुर/ देसूरी जिला पाली/ पिण्डवाडा जिला सिराही) में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लेखामद 2014-00-114-(01)-00-01 (प्रतिबद्ध) में निम्नानुसार पदों के सृजन की एतद्वारा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैंड/ग्रेड पे/पे-लेवल
1	विशिष्ट लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(POCSO Act) तथा Commission for protection of Child Rights Acts, 2005) प्रकरण सं02, श्रीगंगानगर	1	रू0 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	7	रू0 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
3	शीघ्र लिपिक	1	9300-34800, एल-10, ग्रेडपे- 3600/-
4	क्लर्क ग्रेड-आ	8	5200-20200, एल-5, ग्रेडपे- 2400/-
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8	5200-20200, एल-1, ग्रेडपे -1700/-

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1	विशिष्ट लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(POCSO Act) तथा Commission for protection of Child Rights Acts, 2005) प्रकरण सं02, श्रीगंगानगर	01	शीघ्र लिपिक	01	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अटरू जिला बारां	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सिकराय जिला दौसा	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
4	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं011, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
5	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सांचोर जिला जालौर	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
6	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बिलाडा जिला जोधपुर	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
7	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, देसूरी जिला पाली	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
8	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, पिण्डवाडा जिला सिराही	01	—	—	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01

Handwritten signature and date 24/12/2020

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम के तहत लेखामद 2014-00-114-(01)-(00)-05 कार्यालय व्यय (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से निम्नानुसार भी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टेबिल	17 (विशेष लोक अभियोजक के कार्यालय हेतु 03 एवं प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 02)	7000/-	1,19,000/-
2	कुर्सी	64 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 08)	2000/-	1,28,000/-
3	आलमारी	16 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	10,000/-	1,60,000/-
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु लगभग 10000/-रु०	-	80,000/-
			योग	4,87,000/-

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं नियमानुसार उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० 102005147 दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

ह०
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर/बारां/ दौसा/ जयपुर/जालौर/जोधपुर/पाली एवं सिरोंही।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं०2, श्रीगंगानगर।
6. अपर जिला न्यायाधीश अटल जिला बारां/सिकराय जिला दौसा/ सं०11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर/ सांचोर जिला जालौर/ बिलाडा जिला जोधपुर/ देसूरी जिला पाली/ पिण्डवाडा जिला सिरोंही।
7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/बारां/ दौसा/ जयपुर/जालौर/जोधपुर/पाली एवं सिरोंही को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आईटम वर्ष 2020-21 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए क्रय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध कराये।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर/बारां/ दौसा/ जयपुर/जालौर/जोधपुर/पाली एवं सिरोंही।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

ह० 24/12/2020
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि